प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 90/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)
मांगीलाल पिता वालुजी भील निवासीः सापेटिया, तहसील–बड़गांव, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा, उदयपुर

.....................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 08/07/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 18.04.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना से भिन्न झुठी एवं विषय से परे सूचना उपलब्ध करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/90/25/613–14 दिनांक 16.06.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा, उदयपुर ने जरिये पत्रांकः रीडर/आरटीआई/2025/387 दिनांक 07.07.2025 से प्रत्युत्तर से प्रेषित करते हुए न्यायालय को अवगत कराया किया कि प्रार्थी द्वारा प्रथम अपील में यह आक्षेप किया है कि सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं किया गया तथा अपीलार्थी को निर्धारित अवधि तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। उक्त संबंध में निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा जरिये डाक से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत् प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें दिनांक 18.04.2025 अंकित है, जो इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। उक्त के क्रम में सूचना तैयार कर इस कार्यालय के पत्रांक 255 दिनांक 05.05.2025 से अपीलार्थी को प्रेषित की गई।

अपीलार्थी द्वारा उपस्थित होकर निवेदन किया कि सूचना के आवेदन में मौके की स्थिति में संबंध में विवरण चाहा था परन्तु तहसीलदार घासा द्वारा विषय से परे भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचना उपलब्ध कराई गई, जिसका आवेदन से कोई संबंध नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार घासा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 255 दिनांक 05.05.2025 से वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है एवं प्रत्यर्थी द्वारा न्यायालय को प्रस्तुत प्रत्युत्तर से यह न्यायालय प्रथमदृष्टया संतुष्ट है।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 19(1) ना का अधिकार अधिनियम, 2005 सारहीन होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति मयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08-07-25 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर